फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सुनीता आदि बनाम जगदीश व अन्य

मुकदमाः–212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–69/2022 (GCMS No. 2022/116)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2025	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के दादा व पिता अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का दिनांक 03.11.2008 को स्वर्गवास हो चुका है। इनकी धर्मपत्नि यानि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की दादी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की माता का दिनांक 05.08.1994 को श्री मामराज से पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। चक 2 एल0एम0 तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 116/96 के मु0न0 63 पत्थर नं. 2/37 कि0न0 4 ता 7 की 1.012 हैक्टर अ0क0, 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर अ0क0, 24 ता 25 की 0.506 अ0क0 कुल 2.530 हैक्टर अ0क0 व मु0न0 64 प0न0 2/45 कि0न0 1 ता 25 की 6.325 अ0क0 कुल 8.855 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम से ब.हि.ब. यानि प्रत्येक के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के दादा के स्वर्गवास उपरान्त जैरवाद रकबा उनके वारिसान को विरासतन प्राप्त हो चुकाहै। इस जैरवाद खाता की कुल 8.855 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि में प्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता जगदीश पुत्र स्व0 मामराज 1/6 हिस्सा के अंकित हिस्सेदार व खातेदार है। प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 01 नशेड़ी होने के कारण उनके भाईयों ने उनके हिस्सा हड़पना चाहते है। प्रार्थीगण को उनके कहने पर घर से निकाल दिया है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकित कुल 8.855 हैक्टर अ0क0 खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के 1/6 हिस्सा यानि 1.476 हैक्टर अ0क0 में प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा यानि 1.107 हैक्टर ब0हि0ब0 की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिसे घोषित करवाने का वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थीगण का जैरवाद रकबा में विधिक रूप से घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का बनता है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा यदि जैरवाद रकबा को अन्य अजनबी क्रेता को बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये जैरवाद रकबा 8.855 हैक्टर अ0क0 भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा रहन, बैय इत्यादि द्वारा हस्तांतरित ना करने व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति वाद पत्र के निर्णय तक बनाये रखने का आदेश जारी किया जावें। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर दिनांक 04.04.2022 को जारी स्थगन आदेश को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई करने का निवेदन किया। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसील सूरतगढ़ के चक 2 एल0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 116/96 का रकबा प्रार्थीगण के दादा मामराज पुत्र आदूराम के नाम से अंकित था। जिनकी मृत्यु उपरान्त जैरवाद रकबा जरिये विरासतन इंतकाल अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या–01 को पैतृक प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण का हक व हिस्सा स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सूरतगढ़ के चक 2 एल0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 116/96 की कुल 8.855 हैक्टर अ0क0 कृषि भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति वाद के निर्णय तक बनाये रखें। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2025.03.18 16:02:57 IST Reason: Self Attested (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़